

24/2/26

अधिवक्ता अपीलान्त उप०। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्त
की रेष्यो. सं. 2 व 3 के पंजीकृत खम्बर पेश किये, पूर्व में
के अक्षर प्रदान किये गये, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त
द्वारा शान्तिांत तह जानसुधुकर न्यायालय आदेशों की तहमील
नहीं की गयी। अतः उक्त अपील अदम तहमील में श्वारिज
की जाती हैं। पत्रावणी कुलल शुमार होकर बाद आवश्यक
कार्यवाही कार्यालय दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली